उत्तराखंड शासन
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ
पत्र सं -155/XVII (128)/2017
देहरादून: 02 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषय -: ग्रामीण एवं शहरी निकायों के लेखों के प्रमाणीकरण एवं प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में।

14 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायतों को देय राशि की 10 प्रतिशत राशि तथा शहरी स्थानीय निकायों को देय राशि की 20 प्रतिशत राशि निष्पादन अनुदान के तौर पर दिये जाने की अनुशंसा की है जिसके अनुसार इस संस्थाओं को लेखा परिक्षित लेखाओं के माध्यम से प्राप्तियों एवं व्ययों के विश्वसनीय आंकडे उपलब्ध कराने होंगे। प्राप्तियों एवं व्ययों के आंकडों की विश्वसनीयता निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा किये गये लेखों के प्रमाणीकरण के आधार पर संभव होगे।

14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखों के प्रमाणीकरण की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं इसी प्रकार 2016-17, एवं 2018-19 के लेखों के प्रमाणीकरण की रिपोर्ट क्रमश: वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में प्रस्तुत की जानी है। यह अनुशंसा वित्त वर्ष 2016-17 तथा इसके पश्चात देय अनुदानों पर प्रभावी होगी। अत: चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा पैरा संख्या 9.74 से 9.77 में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा लेखों का प्रमाणीकरण / प्रमार्णीकरण अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने के सबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. पंचायती राज एवं शहरी निकायों से संबधित संस्थाओं का अंकेक्षण एवं लेखों के प्रमाणीकरण का कार्य साथ-साथ किया जायेगा।

2. वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास में जिन नगर निगमों /नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों की लेखा परीक्षा, निदेशालय लेखा परीक्षा दल द्वारा की जा चुकी है, उन शहरी निकायों हेतु लेखा परीक्षा दल द्वारा लेखों का प्रमाणीकरण हेतु पुन: संस्थाओं में दिनांक 08अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 तक सम्पादित की जायेगी। इसके उपरांत शेष शहरी एवं ग्रामीण निकायों कि लेखा परीक्षा के साथ लेखों के प्रमाणीकरण किया जायेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं इससे पूर्व के लेखों के प्रमाणीकरण (वर्ष 2012-13) का कार्य निदेशालय लेखापरीक्षा द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा। वार्षिक लेखों के प्रमाणीकरण के कार्य को पूर्ण करने हेतु संबधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों जिनके द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2017 प्रचलित लेखा नियमो के अनुसार वार्षिक लेखे (2015-16) तक के पूर्णरूपेण तैयार किये गए है उन्हें लेखों के प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

लेखा परीक्षा दल को जिन संस्थाओ का वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिया जाता है उन ऑडिटी का वार्षिक लेखो का प्रमाणीकरण प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया जाएगा।

4. निदेशालय लेखापरीक्षा द्वारा प्रथम त्रेमास संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं इससे पूर्व के बकाया लेखों के प्रमाणीकरण का कार्य (वर्ष 2012-13) पूर्ण कर प्रमाण पत्र संबधित संस्थाओं को 15 सितम्बर 2017 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. अंकेक्षण दलों द्वारा प्रमाणक ,रोकड़ पुस्तिका, बही खातो (Ledger) , सरलीकृत सार से वार्षिक लेखो (प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण , परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण पत्र, आय व्ययक , तुलन पत्र, नकद प्रवाह विवरण इत्यादि) की प्रविष्टियों की जांच शत प्रतिशत की जायेगी अर्थात यह सुनिश्चित किया जायेगा है कि प्राप्ति एवं भुगतान विवरण , परिसम्पत्तियों एवं का विवरण पत्र आय व्ययक , तुलन पत्र , में सभी प्रविष्टियां सही रूप में अंकित किये गये है तथा संस्था के अभिलेख में इन प्रविष्टियों के समुचित प्रमाण उपलब्ध है।

6.ग्रामीण निकायों की संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित अवधि में नकद आधार/एकल लेखा प्रणाली पर प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा तैयार कर संस्था की साधारण सभा में प्रस्तुत किये जाने का नियमों में प्रावधान है, अत: वार्षिक लेखों में उल्लेखित कुल प्राप्तियों एवं कुल भुगतान का रोकड़ बही, भारत के महानियंत्रक द्वारा निर्धारित सरलीकृत लेखा प्रारूप 08 लेखा प्रारूपों एंव पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार अन्य उपलब्ध पुस्तिकाओं अनुषांगिक के आधार पर लेखो का प्रमाणीकरण किया जायेगा । संस्था द्वारा नियमों में निर्धारित खाता बही भी संधारित की जानी अपेक्षित है। अत: खाता बही के आधार पर वार्षिक लेखों में उल्लेखित मदवार प्राप्तियों एवं भुगतान अंकेक्षण भी किया जाना चाहिये।

इसी ही प्रकार से स्वीकृत बजट के अनुसार प्राप्तियो तथा भुगतान का परीक्षण भी किया जाना चाहिये । इन दोनों विवरणों के लेखा पुस्तकों के आधार पर सत्यापन/अस्त्यापन होने की स्थिति में संस्था को "वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण" का निर्धारित नियमो के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप 'में अंकेक्षण दल प्रभारी के हस्ताक्षर से जारी किया जाना अपेक्षित है ।

7. शहरी निकायों द्वारा लेखा नियम संग्रह 2011 के अंतर्गत दोहरे लेखा प्रणाली अंगीकृत किया गया है । प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा(Receipt and Payment) एवं वार्षिक लेखो के अंतर्गत आय व्ययक(Income and Expenditure Account) , तुलन पत्र(Balance Sheet) , नकद प्रवाह विवरण(Cash Flow Statement) इत्यादि तैयार कर संस्था की साधारण सभा में प्रस्तुत किये जाने का नियमों में प्रावधान है ।अत: लेखों के प्रमाणीकरण के लिए उत्तराखंड शहरी निकायों के लेखा नियम संग्रह 2011 द्वारा निर्धारित लेखो एवं पंजिकाओं को वार्षिक लेखों के साथ जाच करते हुए लेखो का प्रमाणीकरण के कार्य को अंतिम रूप लेखा परीक्षा दल द्वारा दिया जायेगा ।

8. ग्रामीण एवं शहरी निकायों की कुल प्राप्तियां एंव कुल भुगतान, आय व्ययक , परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण, तुलन पत्र ,का विभिन्न प्रमाणक ,रोकड़ पुस्तिका, बही खातो (Ledger) के साथ

जाँच किये जाने के उपरांत संधारण होने की स्थिति में लेखों के प्रमाणीकरण का बिना शर्त प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा ।

यदि कुल प्राप्तियां एंव कुल भुगतान, आय व्ययक , तुलन पत्र , परिसम्पत्तियों एवं का विवरण पत्र प्रमाणक ,रोकड़ पुस्तिका, बही खातो (Ledger) से मिलान के उपरांत यदि अभिलेख अप्राप्त रहते या लेखा के मूल नियमो से विचलन होता हे तो इस अभाव में लेखों का सशर्त प्रमाणीकरण प्रारूप तीन प्रमाण पत्रों में से में से एक प्रमाण पत्र लेखो के परीक्षण उपरांत लेखा परीक्षा दल द्वारा दिए जायेगा -:

- **अर्ह मत** –जहाँ लेखापरीक्षक असहमति के कारन वित्तीय विवरणों में एक या अधिक विशेष मदों के बारे में असहमत हो या अनिश्चता हो जो कि महत्वपूर्ण हो परन्तु विवरणों की जानकारी के लिए मूल न हो वहां एक अर्ह मत दिया जाना चाहिए। मत की भाषा सामान्यता लेखापरीक्षा के प्रति एक संतोषजनक परिणाम दर्शाया जाता है जो कि अर्ह मत को उत्पन्न करते हुए असहमति या अनिश्चितता के विषयों के एक स्पष्टतया संक्षिप्त विवरण के अध्यधीन होता है ।यह विवरणों के प्रयोक्ताओं की सहायता करता है यदि लेखापरीक्षक अनिश्चितता या असहमति का वित्तीय प्रभाव निर्धारित करता है यद्यपि यह सैदेव व्यवहार्य या सुसंगत न हो ।
- **मत का अस्वीकरण** – जहाँ लेखा एक अनिश्चतता या कार्यक्षेत्र के प्रतिबंध के कारण वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में पूर्णत : एक मत तैयार में असमर्थ रहता है जो इतना मूल कि एक मत ,जो कतिपय सम्बन्धों में अर्ह हो , पर्याप्त नहीं होगा वहां एक अस्वीकरण कारण दिया जाता है । एसे एक मत की भाषा यह स्पष्ट करती है कि एक मत नहीं दिया जा सकता जिसमें अनिश्चिता के विषयों को स्पष्टता और तथा संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया गया है ।
- **प्रतिकूल मत** – जहाँ लेखापरीक्षक असहमति के कारण वित्तीय विवरणों पर पूर्णत:एक मत तैयार करने में असमर्थ रहता है जो इतना मूल है कि यह उस सीमा तक प्रस्तुत की गयी स्थिती को कमजोर करता है कि एक मत जो कतिपय संबंधों में अर्ह ,वह पर्याप्त नहीं होगा वहां एक प्रतिकूल मत दिया जाता है । एसे एक मत की भाषा स्पष्ट करती है कि वित्तीय विवरणों को सही ढंग से नहीं बताया गया जिसमे असहमति

के सभी विधियों को स्पष्टतयाऔर संक्षिप्त रूप में निर्दिष्ट किया गया हो। साथ -साथ यह आशान्वित है यदि वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव निर्धारित किया जाता है जहाँ यह सुसंगत और व्यवहार्य हो।

9. निदेशालय के आधीन कार्यरत लेखापरीक्षा दल के संबधित संस्था में पहुंचने से पूर्व लेखा प्रमाणीकरण से संबधित अभिलेख निम्नानुसार तैयार रखे जाये ताकि लेखा प्रमाणीकरण के संबध में अनावश्यक श्रम एवं समय का अपव्यय न हो-

I. लेखा प्रमाणीकरण से संबधित वर्ष 2014-15 एवं इससे पूर्व के आय-व्यय विवरण पत्र।

II. संस्था की संबंधित वित्तीय वर्ष की रोकड़ बही , खाता बही।

III. ग्रामीण निकायों के लिए भारत के महानियंत्रक द्वारा निर्धारित निर्धारित आठ लेखा प्रारूपों एवं प्लान प्लस , नेशनल एसेट डायरेक्टरी इत्यादि सॉफ्टवेर के अनुसार लेखो की जाँच।

IV. उत्तराखंड शहरी निकायों के लेखा नियमो/ के अनुसार समस्त पंजिकाए , प्रारूप ,विभिन्न लेखे, आय व्ययक ,तुलन पत्र, नकद प्रवाह विवरण इत्यादि ।

V. अन्य लेखा अभिलेख एवं पंजिकाये।

10. ऑडिट दल द्वारा उक्त अभिलेखों की जांच कर क्रमश: अंतिम शेष से चालू वर्ष के प्रारम्भिक शेष का मिलान, वार्षिक आय-व्यय के विवरण के योगों की जांच, संस्था के खाता बही से मदवार आय-व्यय का मिलान करके इसके उपरांत वार्षिक लेखा प्रमाणीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा जिसकी एक-एक प्रति संबधित संस्था, नियंत्रण निदेशालय, प्रशासकीय विभाग , वित्त विभाग के अंतर्गत वित्त ऑडिट प्रकोष्ट , निदेशालय लेखा परीक्षा को भी प्रेषित की जायेगी।

11. लेखा के प्रमाणीकरण के उपरांत निदेशालय लेखापरीक्षा द्वारा उन संस्थाओं का नियमित लेखापरीक्षा कार्य प्रारम्भ कराया जाये। इसमें लेखों के प्रमाणीकरण के प्राप्त संकेतको के अनुसार लेखा परीक्षा के समय आपत्तियां के अंतर्गत भी अभिलेखित की जाये।

12 .वार्षिक लेखो के प्रमाणीकरण हेतु देय समय निम्न तलिकानुसार होगा -:

संस्था का नाम	बिना शर्त राय प्रमाण पत्र	सशर्त राय प्रमाण पत्र
नगर निगम श्रेणी ए की / नगर पालिकाए	दो कार्य दिवस प्रति लेखा परीक्षा दल	छह कार्य दिवस प्रति लेखा परीक्षा दल
श्रेणी बी की नगर पालिका नगर पंचायत/	दो कार्य दिवस प्रति लेखा परीक्षा दल	चार कार्य दिवस प्रति लेखा परीक्षा दल
जिला पंचायत	दो कार्य दिवस प्रति लेखा परीक्षा दल	पाच कार्य दिवस प्रति लेखा परीक्षा दल
क्षेत्र पंचायत	एक कार्य दिवस प्रति लेखा परीक्षा दल	दो कार्य दिवस प्रति लेखा परीक्षा दल
ग्राम पंचायत	एक कार्य दिवस प्रति लेखा परीक्षा दल लेखा परीक्षा सहित	एक कार्य दिवस प्रति लेखा परीक्षा दल लेखा परीक्षा सहित

13. पंचायती राज विभाग के लिए लेखो के प्रमाणीकरण हेतु भारत के महानियंत्रक द्वारा निर्धारित पंचायती राज लेखापरीक्षा नियम संग्रह , पंचायती राज की मॉडल लेखा प्रणाली एवं सरलीकृत लेखा प्रारूपों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

14. शहरी विकास विभाग के लेखो के प्रमाणीकरण **उत्तराखंड नगर पालिका लेखा नियम संग्रह 2011** के लेखा नियमो के अंतर्गत किया जायेगा ।

15. लेखो के प्रमाणीकरण एवं प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा हेतु " शहरी एवं ग्रामीण निकायों के लेखो के प्रमाणीकरण / प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के दिशा निर्देश निर्धारित किये जाते है ।इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी निकायों के लेखो के प्रमाणीकरण एवं लेखा परीक्षा हेतु अलग से नियम संग्रह शासन द्वारा अलग से निर्गत किया जायेगा ।